अखीलचन्द्र बनाम हरिशचन्द्र वगैरह
मुकदमा नम्बर 90/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारीः श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीगण
अखीलचन्द्र वीर

बनाम

प्रतिवादीगण
हरिशचन्द वगैरह

प्रार्थना पत्र बाबतः– आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितः– श्री कन्हैयालाल शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बरः– 90/2023 आदेश दिनांकः– 16.01.2024

आदेश

प्रतिवादी संख्या 2 सुमन चोटिया ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम राजास के खसरा नम्बर 191, 192 रकबा 4.08 हैक्टर भूमि का नगरपालिका नावां द्वारा नमक उत्पादन प्रयोजनार्थ भू–परिवर्तन दिनांक 05.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से किया गया है। उक्त भूमि आज दिन कृषि भूमि नहीं होकर औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि है जिससे वादी का वाद डिफेक्टिव हो चुका है तथा उक्त भूमि औद्योगिक संपरिवर्तित भूमि होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं है तथा वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत काबिल खारिज़ किये जाने योग्य है। इसलिए वादी के वाद को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र पर बहस करने हेतु निवेदन किया जिसपर पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी नियत की गई तथा उभयपक्षकारान के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र में वर्णित खसरा आराजीयान भूमि का नगरपालिका मण्डल नावां के पक्ष में समर्पण होने के बाद नगरपालिका मण्डल नावां के नाम खातेदारी दर्ज होकर उक्त भूमि का पट्टा संख्या 4/2023–24 दिनांक 05.07.2023 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु श्रीमति सुमन चोटिया पत्नि श्री अशोक कुमार चोटिया, पंकज जैन पुत्र पदमचन्द जैन, हरिशचन्द्र बियानी पुत्र राधामोहन के नाम से नगरपालिका मण्डल नावां द्वारा जारी किया गया है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि को लेकर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के यहां वाद संख्या 96/2023 बअनुवान अखीलचन्द्र वीर बनाम जिला [illegible] 21/2021 बअनुवान सुनिता साल्ट बनाम महाप्रबंधक जिला उद्योग के [illegible] विचाराधीन है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि श्रीमान [illegible] नहीं है तथा उक्त भूमि आज दिन औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि है एवं [illegible] भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

होने से राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि नहीं रही है एवं श्रीमान के न्यायालय को केवलमात्र कृषि भूमि से संबंधित वाद पत्र को ही सुनवाई का क्षैत्राधिकार है इसलिए उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि होने से श्रीमान के न्यायालय हाजा को उक्त वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार नहीं रहा है। इसलिए वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जावें।

जिसपर अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने के समय वाद पत्र में वर्णित भूमि कृषि भूमि रही है जिसकी वाद पत्र में प्रमाणित जमाबंदी पेश की गई। तत्पश्चात उक्त भूमि पर न्यायालय हाजा का स्थगन होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को संपरिवर्तित करवाया है। वाद पत्र प्रस्तुत करते समय उक्त भूमि कृषि भूमि थी इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज किया जावें।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण हेतु यह है तय किया जाना है कि इस वाद पत्र को सुनवाई का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को है या नहीं, इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम राजास के खसरा नम्बर 191, 192 कुल रकबा 4.08 हैक्टर भूमि की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में उक्त भूमि की किस्म गै.मु. कुआं व बारानी 3 दर्ज है तथा उक्त भूमि की खातेदारी सुभाषचन्द, सुमन चोटिया व हरिशचन्द्र के नाम दर्ज है तथा वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज उक्त भूमि की जमाबंदी संवत 2074 से 2077 में उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 4.06 हैक्टर भूमि नगरपालिका मण्डल नावां के नाम खातेदारी दर्ज है तथा नगरपालिका मण्डल नावां द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 291, 292 कुल रकबा 4.08 हैक्टर भूमि नमक उत्पादन योजनार्थ हेतु औद्योगिक पट्टा संख्या 4/2023–24 दिनांक 05.07.2023 को श्रीमति सुमन चोटिया पत्नि श्री अशोक कुमार चोटिया, पंकज जैन पुत्र पदमचन्द जैन, हरिशचन्द्र बियानी पुत्र राधामोहन के नाम जारी किया गया है जो पट्टा संख्या 4 की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली है तथा नगरपालिका मण्डल नावां द्वारा जारी पट्टा संख्या 4 से भी वादग्रस्त भूमि नमक उत्पादन प्रयोजनार्थ हेतु औद्योगिकी भूमि होना साबित है। यद्यपि विधि के सुसंगत प्रावधानों अनुसार वादपत्र के इस न्यायालय में विचारण हेतु वाद हेतुक प्रकट होना आवश्यक है एवं वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं होना विचारण के लिए आवश्यक है परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि का समर्पण नगरपालिका मण्डल नावां के पक्ष में होकर उक्त भूमि की खातेदारी नगरपालिका मण्डल नावां के नाम दर्ज है एवं नगरपालिका मण्डल नावां द्वारा नमक उत्पादन प्रयोजनार्थ हेतु औद्योगिक पट्टा भी जारी किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं रही है तथा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी उपनियम (क) के तहत वाद पत्र के विचारण हेतु वाद हेतुक प्रकट होना आवश्यक है परन्तु उक्त भूमि नगरपालिका मण्डल नावां के नाम दर्ज हो जाने से एवं औद्योगिक पट्टा जारी हो जाने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर किसी प्रकार का वाद हेतुक नहीं रहा है एवं वादग्रस्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि होने से भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 14:47:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

रही है तथा इस न्यायालय में वाद के विचारण हेतु कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा वादी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आज दिन उक्त भूमि कृषि भूमि हो एवं वाद की सुनवाई का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को हो। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख संख्या 4/2023–24 दिनांक 05.07.2023 से उक्त भूमि औद्योगिक भूमि है तथा औद्योगिक भूमि होने से वाद पत्र की प्रकृति बदल चुकी है इसलिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी उपनियम (घ) के तहत उक्त वादग्रस्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि होने से वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि को लेकर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नावां के यहां वाद संख्या 96/2023 बअनुवान अखीलचन्द्र वीर बनाम जिला कलक्टर एवं वाद सख्या 21/2021 बअनुवान सुनिता साल्ट बनाम महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र नागौर प्रकरण विचाराधीन है एवं इस वादपत्र को विचारण के लिए सुनवाई का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं रहा हैं। इसलिए वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत नामंजूर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद–पत्र खारिज किया जाता हैं।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:28 IST
Reason: SelfAttested